कार्यालय संयुक्त निदेशक,स्कूल शिक्षा कोटा संभाग,कोटा

क्रमांकः संयु.निदे/स्कूलशिक्षा/को/संस्था–3/नियु.वअ विशेषशिक्षा/2020/2 दिनॉकः 04.02.2020

कार्यालय आदेश

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/एफ–1/12102/ सी.भ./व.अ.विशेष शिक्षा./सभी विषय/2015/ दिनांक 09.01.2020 के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापक (विशेष शिक्षा) **भर्ती परीक्षा–2015 के पद पर चयनित अभ्यर्थियो को वरिष्ठ अध्यापक–विशेष शिक्षा** पद पर नियुक्ति देने हेतु इस कार्यालय को आंवटित किये जाने के फलस्वरूप संलग्न सूची में विवरणांकित आशार्थियों को **वरिष्ठ अध्यापक–विशेष शिक्षा** के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम–2017 के अनुसार लेवल 11 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय 26500/– रू0प्रतिमाह/विद्यमान वेतनमान पर नियुक्ति दी जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय अथवा पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन नियत मानदेय के रूप में देय होगा।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेंगे:–

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बंधी सदाचार रिपोर्ट एंव सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावे। इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नही करवाया जावे। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
2. पदस्थापित अभ्यर्थियो को कार्यग्रहण करवाने से पूर्व उनकी पात्रता आयु एवं आरक्षण संबंधी समस्त दस्तावेजो की जॉच आवश्यक रूप से करे।

3 नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी/ए–II /95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप में 100/– रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।

4 विवाहित अभ्यर्थी के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने सम्बंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है, तो तत्सम्बंधी आशय का 100/–रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त करेंगे।

5 आवेदक द्वारा दहेज नही लिये जाने का स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत करे

6 राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता सम्बंधी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 100/– रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त करेंगे। कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नही पाई गई तो उन्हे प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरूद्व कार्यवाही करने संबंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

7 आपके स्तर पर यह भी जांच आवश्यक रूप से कर ली जाये कि:–

(अ) **अन्य** पिछड़ावर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी के द्वारा नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र मे जारी किया होना चाहिए एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि "अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है,अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमिलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिये। यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है,तो उनका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवायें।

(ब) अन्य पिछडा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिये। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ होतो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात् का बना हुआ प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं करने पर आवेदन पत्र इस कार्यालय को वापिस लौटा दें।यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो उनका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवायें।

(स) अन्य पिछडा वर्ग से संबंधित जिन अभ्यर्थियो के नवीनतम जारी जाति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न नही है, उनके संबंध मे नियमानुसार नवीनतम जारी जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जावे तथा पूर्णतया संतुष्ट होने के उपरान्त ही इन आशार्थियो को नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाया जावें ।

उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरांत ही अन्य पिछडा वर्ग के आवेदक को कार्यग्रहण करावे।

8. टीएसीपी परिक्षेत्र के अभ्यर्थियो से विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र राज्य सरकार के द्वारा नवीनतम निर्धारित प्रपत्र में अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिये। इसके अभाव में कार्यग्रहण नही करवाया जावे।

9 चयनित अभ्यर्थियो को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम–2017 के अनुसार वेतन लेवल–11 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय 26500/– रू0प्रतिमाह /विद्यमान वेतनमान पर नियुक्ति प्रदान की जावेगी।

10 परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रनी) की अवधि मे फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा–महंगाई भत्ता,मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता,महंगाई वेतन (डी.पी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नही होगा।

11 परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनी) की अवधि में राज्य बीमा,सामान्य प्रावधायी निधि आदि की कटौती नही होगी।

12 परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्वि के लिये गणना योग्य नही माना जावेगा।

13 परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि मे इन्हे कैलेण्डर वर्ष मे केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश कमांक–एफ–12(9) एफ.डी.(रूल्स) 2017जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।

14 वित्त विभाग के आदेश कमांक –एफ–12(9) एफ.डी.(रूल्स) 2017जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार प्रोबेशन ट्रेनी के फिक्स रेमुनरेशन से नवीन पेंशन अंशदायी की कटौती नियमानुसार होगी।

15 कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से संलग्न प्रारूप में यह शपथ पत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रूटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।

16 जारी किये जाने वाले नियुक्ति आदेश वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षा.) प्रतियोगी परीक्षा 2015 के प्रकरण में माननीय न्यायालय मे दायर एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2364/2016 रतनलाल पलसानिया व अन्य बनाम राज्य सरकार व 23 अन्य याचिकाओ तथा दायर अन्य विभिन्न याचिकाओ एवं डी.बी. सिविल याचिका संख्या 1884/2016 श्री अनिल कुमार भारद्वाज व अन्य बनाम सरकार तथा 23883/2018 फूलचन्द गौतम व अन्य बनाम सरकार व अन्य के निर्णयो के अध्यधीन रहेगे ।

17 संस्था प्रधान अभ्यर्थी से नवीनतम फोटो प्राप्त कर नियुक्ति पत्र पर चिपकाकर प्रमाणित करेगे।

18 इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर **दिनांक 11.02.2020** तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा,अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा । अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज/सूचनाएं सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के उसकी सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

(रामस्वरूप)
संयुक्त निदेशक,स्कूलशिक्षा
कोटा संभाग कोटा

क्रमांकः संयु.निदे./स्कूलशिक्षा/को/संस्था–3/20301/नियु–वअ विशेष शिक्षा/2020/ 2 दिनॉकः 04.02.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1– विशिष्ठ सहायक माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री राजस्थान सरकार जयपुर
2– प्रमुख शासन सचिव,शिक्षा(ग्रुप–2)विभाग,राजस्थान,जयपुर
3– शासन उपसचिव,शिक्षा(ग्रुप–2)विभाग,राजस्थान,जयपुर
4– शासन उपसचिव,कार्मिक(क–2)विभाग,राजस्थान,जयपुर
5– सचिव,राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर
6– निदेशक,माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा,राजस्थान–बीकानेर
7– मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी बारां/बून्दी
8– जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक) बारां/बून्दी
9– संबंधित संस्था प्रधान,उमावि/मावि––––––––––
10–संबंधित आशार्थी (पंजीकृत डाक द्वारा)
11–रक्षित पत्रावली

04.2.2020

संयुक्त निदेशक,स्कूलशिक्षा
कोटा संभाग कोटा

कार्यालय संयुक्त निदेशक,स्कूल शिक्षा कोटा संभाग कोटा

आदेश कमांक : संयु.निदे./स्कूलशिक्षा/को/संस्था–3/नियु.वअ विशेष शिक्षा/2020/ 2 दिनांक 04.02.2020

कसं.	मेरिट नम्बर	पद/विषय	रोल नम्बर	वर्ग	आशार्थी का नाम मय,पिता का नाम	पता	जन्मतिथि	रोस्टर चयन वर्ग जिसके प्रति चयन किया गया है	पदस्थापन स्थान मावि/उमावि	जिला	फोटो
1	R-11	HINDI	101458	GE, WE	RAJANI SHARMA D/O BRIJ MOHAN SHARMA	VILLAGE & POST KISHANGANJ DISTRICT BARAN 325216	07-05-77	GENM	राउमावि अटरू	बारां	
2	R-14	SCIENCE	100150	SB	CHANDRA SINGH GURJAR S/O PRETAM SINGH GURJAR	VILL-BADAGOAW,POST KHERLA TEH-MAHAWA THANA SALAMPUR , DAUSA 322240	08-07-83	GENM	राउमावि डाबी तालेडा	बून्दी	

संयुक्त निदेशक,स्कूलशिक्षा
कोटा संभाग कोटा